न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटपूतली (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. सत्यवीर यादव
आर.ए.एस

अपील संख्या :– 37/2020

बनवारीलाल पुत्र गणपतराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोलाहेडा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)

अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश निर्णय दिनांक 30/12/2010 द्वारा तहसीलदार कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)

निर्णय दिनांक 30.9.2020

अपीलान्ट तहसीलदार कोटपूतली द्वारा पारित आदेश 30/12/2010 से रूष्ट होकर उक्त आदेश के विरूद्व अपील पेश की है, जिसमें वर्णित तथ्य निम्नभांति पेश किये हैं :–

1. यह है कि अपीलान्ट द्वारा एक अपील श्रीमान् न्यायालय के यहां अपील संख्या 296/2008 इस आशय की प्रस्तुत की गयी थी कि आराजी ख.नं. 607/0.62, 39/0.15, 41/0.22, 128/0.16, 690/0.35, 615/0.49, 622/0.27, 642/0.65, 130/0.09, 216/0.24, 217/0.16, 219/0.23, 220/0.19, 221/0.29, 222/0.0019, 223/0.06, 225/0.11, 218/0.22, 2/0.67, 3/0.24, 4/0.31, 5/0.30, 16/0.14, 71/0.09, 103/0.01, 104/0.06, 228/0.13, 1/0.64, 263/0.15, 102/0.10, 48/0.18, 260/2.25, 264/10.21, 442/0.80, 443/0.19, 87/0.30, 105/0.30, 127/0.16, 135/0.19, 51/0.15, 131/0.17, 151/0.16, 152/0.166, 382/0.35, 383/0.56, 391/0.24, 392/0.49, 536/0.17, 311/0.32, 314/0.20, 331/0.24, 638/0.02, 310/0.25, 330/0.33, 385/0.43, 614/0.31, 621/0.16, 640/0.11, 43/0.22, 95/747/0.15, 129/0.02, 410/0.05, 315/0.62, 324/0.19, 325/0.21, 411/0.19, 618/0.84, 685/0.15, 716/0.60, 719/0.47, 721/0.46, 687/0.74, 688/0.27, 513/0.73, 718/0.48, 720/0.23, 676/0.37, 679/0.33, 639/0.77, 684/1.13, 682/0.27, 689/0.29, 717/0.51, 678/0.79, 312/0.26, 327/0.56, 683/0.35, 326/0.74, 675/1.09, 609/0.74, 681/0.54, 680/0.29, 615/0.57, 686/0.52, 608/0.79, 677/0.33, 313/0.32, 384/0.53 व 541/0.35 कुल किता 99 रकबा 34.36 हैक्टर वाके मौजा बखराना तहसील कोटपूतली में स्थित है। उपरोक्त आराजी के रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 03 अपने हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार थे जिन्होंने अपने सम्पूर्ण हिस्से को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र से दिनांक 30/10/2006 को अपीलान्ट को बेच दिया एवं कब्जा मौके पर संभला दिया था तभी से अपीलान्ट मौके पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज हुआ। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 03 व अन्य सह खातेदारों ने घरू तौर पर मौके पर उक्त आराजी को बांट रखा था। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 03 के हिस्से आराजी ख.नं. 716/0.60, 718/0.48, 719/0.24 (हाल 719/1/0.24), 717/0.51, 513/0.64 हैक्टर वाके मौजा बखराना आये थे। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 03 द्वारा उपरोक्त भूमि का बेचान अपीलान्ट को करने के उपरान्त भी अन्य सहखातेदारों से मिलकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली से बंटवारा कराया जाकर नामान्तरकरण संख्या 387 वाके ग्राम बखराना आराजी खसरा नम्बर 716/0.60, 718/0.48, 717/0.51 व 513/0.64 अपीलान्ट की जगह स्वयं का नाम

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

Scanned with CamScanner

दर्ज करा लिया एवं ख.नं. 719/0.24 (हाल 719/1/0.24) को अन्य खातेदार के नाम सहमति प्रदान कर दी, जिसकी जानकारी अपीलान्ट को नकल प्राप्त करने से हुयी।

उक्त अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय श्रीमान् द्वारा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली बंटवारा बाबत नाम्रा.सं. 387 दिनांक 02/02/2008 को स्वीकार हुआ उसे दिनांक 25/02/2010 को अपास्त किया जाकर तहसीलदार कोटपूतली को प्रकरण प्रति प्रेषित कर आदेश दिये गये थे कि सभी प्रभावित पक्षकारान् को अपील में उठाये गये बिन्दुओं की रोशनी में प्रभावित पक्षकारान् को सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

2. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली द्वारा माननीय न्यायालय अति. जिला कलक्टर से परे जाकर दिनांक 30/12/2010 को ख.नं. 716/0.60, 718/0.48, 717/0.51 व 513/0.64 हैक्टर कुल किता 04 कुल रकबा 2.23 हैक्टर वाके मौजा बखराना रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 03 का नाम हटाकर अपीलान्ट का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने के आदेश पारित कर दिये जिसकी जानकारी अपीलान्ट को 22/7/2020 को तहसील कार्यालय से नकल प्राप्त करने से हुयी ।

3. यह है कि तहसीलदार कोटपूतली द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30/12/2010 को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 03 का आ.ख.नं. 716/0.60, 718/0.48, 717/0.51, 513/0.64 वाके मौजा बखराना से नाम हटाकर अपीलान्ट के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु आदेश किये है, जबकि अपीलान्ट द्वारा पृष्ठ संख्या 01 लगायत 02 में उल्लेखित खसरा नम्बर में जरिये विक्रय-पत्र कुल 2.49 एयर भूमि क्रय की गयी थी जिसमें ख.नं. 719 भी शामिल था एवं मौके पर कब्जा भी ख.नं. 716, 718, 717, 513, 719/1 कुल 2.49 हैक्टर भूमि का प्राप्त किया था। ख.नं. 719/1/0.24 वाके मौजा बखराना भी अपीलान्ट द्वारा खरीद किया हुआ है, जबकि तहसीलदार कोटपूतली द्वारा अपने निर्णय में आ.ख.नं. 719/1/0.24 का कोई उल्लेख नहीं किया है।

4. यह है कि तहसीलदार को निर्णय पारित करते समय आ.ख.नं. 719/1 रकबा 0.24 है0 वाके मौजा बखराना के हाल खातेदार का नाम राजस्व रिकॉर्ड से नाम हटाया जाकर उक्त ख.नं. 719/1/0.24 अपीलान्ट के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने के आदेश प्रदान किये जाने चाहिए थे लेकिन मनमानी तरिके से उक्त निर्णय पारित कर कानूनी भूल की है।

5. यह है कि तहसीलदार कोटपूतली द्वारा पारित आदेश 30/12/2010 की जानकारी अपीलान्ट को पूर्व में नहीं थी । दिनांक 22/7/2020 को राजस्व रिकॉर्ड की नकल प्राप्त की तो अपीलान्ट को तमाम तथ्यों की जानकारी हुयी। नकल प्राप्त कर श्रीमान् के समक्ष अपील पेश करने में हुयी देरी माफी के लिए अलग से प्रार्थना-पत्र दफा-5 मियाद अधिनियम पेश किया है। अपील प्रस्तुत के लिए श्रीमान् को क्षेत्राधिकार है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलाधीन आदेश व निर्णय दिनांक 30/12/2010 तहसीलदार कोटपूतली को अपास्त किया जाकर आ.हाल ख.नं. 719/0.24 वाके मौजा बखराना तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज.) के राजस्व रिकॉर्ड से हाल खातेदारो का नाम कलमजन किया जाकर अपीलान्ट का हाल राजस्व रिकॉर्ड के नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

6. अपीलान्ट द्वारा जरिये वकील अपील पेश करने पर रिपोर्ट सरिश्ता करायी गयी। रिपोर्ट समात पायी जाने पर रेस्पोडेन्ट की तलबी हेतु नियमानुसार सम्मन नोटिस न्यायालय द्वारा जारी किये गये बाद तामील सम्मन नोटिस लौट कर प्राप्त हुये है, जिन्हे संलग्न पत्रावली किया गया।

7. बहस सुनी गयी वकील अपीलान्ट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अभिकथन किया कि अपील में वर्णित आराजी कुल किता 99 रकबा 34.36 है0 वाके मौजा बखराना तहसील कोटपूतली में स्थित है। अपीलान्ट ने माननीय न्यायालय अति. जिला कलक्टर कोटपूतली के यहां पूर्व में अपील संख्या 296/2008 व उनवान बनवारीलाल बनाम कृष्णा पत्नी रणधीर वगैरह अपील विरुद्ध नाम्रा.सं. 387 दिनांक 02/02/2008 द्वारा तहसीलदार कोटपूतली वाके ग्राम बखराना एवं बंटवारा तहसीलदार कोटपूतली दिनांक 02/02/2008 की पेश की। उक्त आराजी में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 03 अपने हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार थे तथा उन्होंने अपने सम्पूर्ण आराजी में अपने हिस्से को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र दिनांक 30/10/2006 को अपीलान्ट को बेच दिया तथा मौके पर कब्जा सम्भला दिया था तथा उक्त आराजी को घरु तौर पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 03 व अन्य सहखातेदारान् में बाट रखा था। घरु तौर पर हुए बंटवारे में ख.नं. 716/0.60, 718/0.48, 719/0.24, 717/0.51 व 513/0.64 वाके मौजा

...जिला कलक्टर
कोटपूतली (...)

Scanned with CamScanner

बखराना रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 03 के हिस्से में आये थे, लेकिन रेस्पोडेन्ट द्वारा भूमि का बेचान करने के उपरान्त भी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 03 ने सह खातेदारान् से मिलकर बिना किसी अधिकार के तहसीलदार से बटवारा करा लिया तथा नामा.सं. 387 उक्त हाल ख.नं. 716/0.60, 718/0.48, 719/0.24, 717/0.51 व 513/0.64 हे0 वाके मौजा बखराना में अपीलान्ट की जगह स्वयं का नाम दर्ज करा लिया, जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 03 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र से भूमि अबपीलान्ट को बेचान करने के उपरान्त भी उक्त नामा.सं. 387 दिनांक 02/02/2008 के तहत् अपने नाम नामा तस्दीक करा लिया इस प्रकार उक्त नामा.सं. 387 जो बंटवारे के अनुसार दर्ज किया है उसको अपास्त कराने बाबत श्रीमान् न्यायालय अति. जिला कलक्टर के यहां अपील पेश की गयी थी, जिसका निर्णय दिनांक 25/02/2010 को श्रीमान् न्यायालय के यहां से नामा.सं. 387 दिनांक 02/02/2008 वाके मौजा बखराना को अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार कोटपूतली को इस निर्देश के साथ प्रेषित (रिमाण्ड) किया गया कि सभी प्रभावित पक्षकारान् को अपील में उठाए गये बिन्दुओं की रोशनी में प्रभावित पक्षकारान् को सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उक्त निर्णय की पालना में तहसीलदार कोटपूतली द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30/12/2010 के मुताबिक बंटवारा होने के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 03 के हिस्से में ख.नं. 716, 718, 717 व 513/1 कुल किता 4 रकबा 2.23 मौजा बखराना आयी है व अपीलान्ट बनवारी पुत्र गणपत गुर्जर ने रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 03 से ही जरिये विक्रय-पत्र भूमि खरीद की है। इसलिए उक्त आराजी ख.नं. 716, 718, 717 व 513/1 कुल किता 4 रकबा 2.23 मौजा बखराना रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 03 कृष्णा देवी पत्नी रणधीर, उषा पत्नी चन्दनलाल सुमित्रा पत्नि विजेन्द्र कौम अहिर निवासी खेडकी दौला तहसील रोना गुडगांव के स्थान पर प्रार्थी/अपीलान्ट बनवारीलाल पुत्र गणपतराम कौम गुर्जर निवासी मोलाहेडा के नाम अंतरित किये जाने के आदेश दिये गये है, जबकि पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया है कि ख.नं. 716, 718, 719, 717 व 513/1 पर बनवारी पुत्र गणपतराम कौम गुर्जर ने काश्त कर रखी है। तहसीलदार द्वारा उक्त निर्णय 30/12/2010 पारित करते समय ख.नं. 719 का उल्लेख नहीं किया जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 03 द्वारा अपीलान्ट को जरिये विक्रय-पत्र से दिनांक 30/10/2006 को आ.ख.नं. 719 विक्रय किया गया है, जबकि तहसीलदार कोटपूतली द्वारा निर्णय 30/12/2010 पारित करते समय अपीलान्ट के नाम उक्त ख.नं. 719/0.24 भी आना चाहिए था । इसलिए अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली द्वारा पारित आदेश 30/12/2010 को अपास्त किया जावे तथा हाल आराजी ख.नं. 719/0.24 वाके मौजा बखराना तहसील कोटपूतली में अपीलान्ट का नाम हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कराने के आदेश प्रदान करें।

8. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपील मुकदमा नम्बर 296/2008 बनवारी बनाम कृष्ण पत्नी रणधीर वगैरह में माननीय श्रीमान् न्यायालय द्वारा प्रकरण प्रति प्रेषित (रिमाण्ड) होने पर प्रभावित पक्षकारों को सुना जाकर निर्णय पारित किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 03 के हिस्से में बंटवारे से मौजा बखराना के आराजी ख.नं. 716, 718, 513/1 व 717 कुल किता 4 कुल रकबा 2.23 हे0 आयी है व अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 3 से जरिये विक्रय-पत्र भूमि खरीद की है इसी अनुसार उक्त भूमि किता 4 रकबा 2.23 मौजा बखराना रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 03 के स्थान पर प्रार्थी बनवारीलाल पुत्र गणपतराम कौम गुर्जर निवासी मोलाहेडा के नाम अंतरित की गयी है, जो विधिवत सुनवायी कर उचित निर्णय 30/12/2010 पारित किया है । अतः अपीलान्ट की अपील खारिज फरमावें।

9. विद्वान अधिवक्तागण् उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध प्रस्तुत दस्तावेजात् रिकॉर्ड व शाहदत शाहपुरा का अवलोकन किया तथा वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत की गयी बहस पर मनन किया गया तो पाया कि पूर्व में इस न्यायालय हाजा में प्रस्तुत अपील मु.नं. 296/2008 ब उनवान बनवारी बनाम कृष्ण वगैरह में पारित निर्णय 25/02/2010 की पालना में अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली द्वारा दिनांक 30/12/2010 को ब उनवानी प्रकरण बनवारीलाल बनाम कृष्ण वगैरह में निर्णय पारित होना पाया जाता है। इस न्यायालय हाजा में पूर्व में प्रस्तुत की गयी अपील मु.नं. 296/2008 में नामा सं. 387 दिनांक 02/02/2008 द्वारा तस्दीक तहसीलदार कोटपूतली के विरुद्ध पेश की गयी थी, जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 03 द्वारा अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि आ.ख.नं. 716/0.60, 718/0.48, 719/0.24, 717/0.51, 513/0.64 को बेचान करने के उपरान्त भी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 03 ने उक्त

Scanned with CamScanner

भूमि को अपने नाम दर्ज करा ली। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 25/02/2010 को निर्णय पारित कर उक्त नामा.सं. 387 दिनांक 02/02/2008 को अपास्त किया जाकर प्रकरण को रिमाण्ड किया जाकर आदेश दिये गये थे कि सभी प्रभावित पक्षकरान् को सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। इस न्यायालय हाजा से पारित किया गया निर्णय 25/02/2010 की पालना में तहसीलदार कोटपूतली द्वारा पारित आदेश दिनांक 30/12/2010 के मुताबिक अपने निर्णय में वर्णित किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 03 ने अपीलान्ट बनवारीलाल को जरिये रजिस्ट्री विक्रय–पत्र से हिस्सा मुताबिक जमाबंदी बेचान किया है। बंटवारा होने के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 03 के हिस्से में ख.नं. 716, 718, 717 च 513/1 किता 4 रकबा 2.23 हैक्टर वाके मौजा बखराना आयी है। उक्त बंटवारे में आयी भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 03 के स्थान पर बनवारी लाल पुत्र गणपत कौम गुर्जर (अपीलान्ट) के नाम भूमि अंतरित करने के आदेश दिये जाते है, जबकि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश 25/02/2010 में प्रभावित पक्षकारान् को सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित करने के आदेश तहसीलदार को दिये गये थे। तहसीलदार ने अपने निर्णय में आ.ख.नं. 719 वाके मौजा भखराना का कही भी उल्लेख नहीं किया है, जबकि दिनांक 30/10/2006 को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 03 ने अपीलान्ट के हक में ख.नं. 719/0.24 का विक्रय–पत्र जरिये रजिस्टर्ड हुआ है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 03 द्वारा दिनांक 30/10/2006 को अपीलान्ट के हक में जरिये विक्रय–पत्रों से कुल रकबा 2.49 है0 का बेचान हुआ है, जबकि आ.ख.नं. 719/1/0.24 को छोडते हुए रकबा अपीलान्ट का कम कर तहसीलदार द्वारा 2.23 है0 भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये है। तहसीलदार कोटपूतली द्वारा अपीलान्ट के हक में हुये विक्रय–पत्रों दिनांक 30/10/2006 का बिना परिरक्षण व जाँच किये ही मात्र बंटवारे में आई भूमि ख.नं. 716, 717, 718 व 513/1 किता 4 रकबा 2.23 हैक्टर वाके मौजा भखराना का अपीलान्ट को भूमि अंतरित करने के आदेश पारित किये है, जबकि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली को अपीलान्ट के पक्ष में हुए विक्रय–पत्रों का परिरक्षण कर एवं पूर्व जांच कर निर्णय पारित करना चाहिए था क्योंकि बंटवारा से पहले रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 03 द्वारा अपीलान्ट के हक में रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र तस्दीक करा दिया गया था । इसलिए तहसीलदार कोटपूतली द्वारा अपूर्ण निर्णय पारित किया है, जबकि तहसीलदार को निर्णय पारित करते समय आ.ख.नं. 719/1/0.24 हैक्टर भूमि हाल खातेदारों का नाम कलमजन कर अपीलान्ट के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने के आदेश पारित करने चाहिए थे। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश 30/12/2010 न्यायोचित एवं विधि सम्मत नहीं है। ऐसी सूरत में अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार कोटपूतली को आदेश दिये जाते है कि हाल आ.ख.नं. 719/1/0.24 है0 वाके मौजा भखराना तहसील कोटपूतली में हाल खातेदारों का नाम कलमजन कर अपीलान्ट के नाम उक्त ख.नं. को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने के आदेश प्रदान किये जाते है। तदनुसार पालना हो। तहसीलदार कोटपूतली को पालनार्थ हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।
11. निर्णय आज दिनांक 30.9.20 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

Scanned with CamScanner